353 Through email
1-9-2023

संख्याःएसजीएसबी–2017–Vol-IV-Registration 782-793
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग
राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय परिसर, शिमला–1

प्रेषकः

निदेशक, (पशु पालन) एवं सदस्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग, शिमला–1.

प्रेषितः

समस्त उप–निदेशक,
पशु स्वास्थ्य/प्रजनन
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–1 31st अगस्त, 2023

विषयः– गौसेवा आयोग से गौसदन पंजीकरण करने व निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करवाने बारे दिशा निर्देशानुसार।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के संदर्भ आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र सम संख्या दिनांक 18.7.2022 के प्रसंग को जारी रखते हुए आपको निर्देश दिए जाते है कि आपके कार्यालय द्वारा जब भी गौसेवा आयोग को पंजीकरण व निर्माण बारे दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है तो वह पूर्ण रूप से भरे हो तथा दस्तावेजो की जांच उपरान्त निम्नानुसार पग उठायेः–

1. गौ अभ्यारण्य/गौसदन पंजीकरण हेतु भूमि का स्वामित्व स्पष्ट हो, भूमि कनाल, बीघा, हैक्टेयर में वर्णित हो, भूमि का नवीनतम ततीमा पर्चा होना आवश्यक है, जो भूमि विभाग के नाम हस्तानांतरित हुई है उसका इन्तकाल विभाग के नाम होना भी आवश्यक है इसके अतिरिक्त पंजीकरण आवेदन पत्र के समस्त कॉलम पूर्ण भरे होने चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें की क्या भूमि गौसदन निर्माण के लिए उपयुक्त है।
2. भूमि सरकार द्वारा आबंटित या संस्था द्वारा कम से कम 25 वर्षो या उससे अधिक वर्षो तक लीज में ली गई हो, लीज पर ली गई भूमि बैंक से कर मुक्त तथा भूमि के अन्य हिस्सेदारो के NOC भी संलग्न हो अगर भूमि किसी सरकारी विभाग की हो तो उस विभाग का NOC भी आवश्यक है।
3. जहाँ पर गौसदन का निर्माण होना हो उस सम्बन्धित पंचायत/नगर परिषद/निगम का NOC आवश्यक है व संस्था द्वारा यह शपथ पर देना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा नही किया है।
4. संस्था द्वारा संचालित गौसदनों के नियम अधिनियम की प्रति जिसमें यह भी दर्शाया गया हो कि संस्था प्रदेश में बेसहारा गौवंश के लिए कार्य कर रही है।
5. मामला बैंक ड्राफ्ट की तिथि जांच कर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, क्योंकि उसकी वैधता केवल 3 माह तक ही वैध होती है। पंजीकरण हेतु मु0 500 रूपये का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, (पशु पालन) एवं सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग, शिमला–1 के नाम से ही बनाया जाए।

6. जब भी प्राक्कलन तैयार करवाये जाए तो वह सम्बन्धित विभाग/एजेंसी के अधिशाषी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है तथा प्राक्कलन की दो प्रतियां गौसेवा आयोग को प्रस्तुत करवाना आवश्यक है।

7. बडे सरकारी गौसदनों/गौ अभ्यारण्यों की परियोजना रिर्पोट/प्राक्कलन तैयार करवाते समय समस्त कार्य एक ही बार परियोजना रिर्पोट में दर्शाए जाना आवश्यक है बार–2 निर्माण कार्य बारे एजेंसी नही बदली जाएगी।

8. नए गौसदनो के निर्माण हेतु आयोग के पास केवल मु0 10.00 लाख रूपये या प्राक्कलन का 50 प्रतिशत जो भी कम हो का ही प्रावधान है ,तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए की सहायता उपलब्ध करवाने से पहले गौसदन का पंजीकरण गौसेवा आयोग से करवाना आवश्यक है। प्राक्कलन केवल उतनी ही राशि के गौ शैड निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा यह भी दर्शाया जाए की गौसदन में निर्माण उपरान्त कितने बेसहारा गौवंश को आश्रय उपलब्ध करवाया जाऐगा।

9. गौसदन विस्तार हेतु आयोग के पास पहले से बने गौसदनों के विस्तारीकरण हेतु केवल मु0 5.00 लाख रूपये का प्रावधान इस शर्त पर है कि संस्था गौसदन विस्तार उपरान्त गौसदन में 25 या इससे अधिक अतिरिक्त बेसहारा गौवंश को आश्रय देगी, जिस बारे संस्था को शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।

10. गौसदन निर्माण के मामले भेजते समय पहले उस गौसदन निर्माण की औचित्य रिर्पोट जैसे भूमि गौसदन निर्माण हेतू उचित है, गौसदन में बिजली, पानी, रोड की उचित व्यवस्था है इसमें पानी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्राक्कलन में इसके लिए भी प्रावधान किया जाए।

11. यह भी सुनिश्चित करें कि गौसदन का निर्माण कार्य नदियों/नालो के समीप न हो ताकि बाढ़ इत्यादि से कोई खतरा उत्पन्न नही हो सके का जिक भी अपनी विस्तृत टिप्पणी में प्रस्तुत किया जाऐ।

अतः आप सभी को पुनः निर्देश दिए जाते है कि गौसेवा आयोग के दिशा निर्देशानुसार ही पंजीकरण व सहायता उपलब्ध करवाने बारे मामले पूर्ण दस्तावेजों की जांच उपरान्त प्रस्तुत किए जाए। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि सरकार से अनुमोदित गौसेवा आयोग से पंजीकरण बारे नये आवेदन पत्रो व गौ अभ्यारण्यों निर्माण का नक्शे को गौसेवा आयोग की Website:- hpgauseva.org से Dowanload किया जाए, तथा भविष्य में पंजीकरण के मामले नए आवेदन अनुसार ही प्रस्तुत किए जाए।

31/8/23

निदेशक, (पशु पालन) एवं सदस्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग, शिमला–1.

उपाबन्ध–1

(नियम 6 देखें)

संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

संस्था का नाम..

वह श्रेणी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किया जाना है: गोसदन/गौशरणालय गोशाला /गोविज्ञान केन्द्र /अन्य। (नाम निर्दिष्ट किया जाए ....)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गोसेवा आयोग,

शिमला–5

विषयः– "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022 के अन्तर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022", "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 के उपाबन्धों के अधीन गाय के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में रत संस्था के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करते हैं।

अब, यह संस्था, उक्त नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का आशय रखती है, अतः यह आवेदन ऐसी विशिष्टयों, जो अपेक्षित हो सहित तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

....बैंकमें ....
रूपये के क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट नम्बर ....तारीख............................
को भी रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संलग्न किया गया है।

पूरा पताः

....

....

....

संस्था प्रमुख
संस्था की मुहर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:

1. संगठन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
2. संस्था के संविधान/उपविधियों की प्रति।
3. प्रबंध समिति द्वारा अंगीकृत संकल्पों /अधिनियम के अधिदेश से संबधित बैठक कार्यवाहियों की प्रति।
4. पशु चिकित्सा अधिकारी और/या हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य /विशेष आमंत्रित सदस्य दवारा सम्यक रूप से सत्यापित किए गए पिछले एक वर्ष में गौवंश के संरक्षण, पुनर्वास, संवर्धन और कल्याण से संबंधित कियाकलापों की सूची।
5. भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजपत्र ।
6. समपरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट/ कागजपत्र ।
7. उपाबन्ध VIII के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक से उसके शीर्षनामे पर खाता विवरण सत्यापित करते हुए प्रमाण पत्र ।
8. सार्वजनिक दान आदि सहित अन्य स्त्रोतों से अतीत में प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
9. जहां संस्था की स्थापना का प्रस्ताव है उस पंचायत और स्थानीय प्रशासन में (उपाबन्ध IV) के साथ–साथ पशु चिकित्सा अधिकारी से (उपाबन्ध III) में सिफारिश प्रमाण पत्र/पत्र।

आवेदन की तारीख:

हस्ताक्षर
(संस्था का प्रमुख)

रसीद

केवल पांच सौ रूपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर.................................तारीख ....
..................के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्राप्त हुआ है ।

तारीख:

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग,
शिमला ।

(नियम 6 देखें)
संस्था का विवरण

1. संस्था का नाम ....

....

स्थापना की तारिख– ....

2. पता ....

....

3. विलेख या लिखत या ऐसा उद्धहरण, जो उनका परावर्तन कर सके, की प्रतियों सहित संस्था के लक्ष्य और उद्धेश्य ।
4. यदि यह किसी भी अधिनियमित के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र।
5. सुसंगत दस्तावेजों सहित संस्था की उपविधियां।
6. संस्था से सम्बन्धित धारित पद सहित न्यासी (ट्रस्टी) सदस्यों के नाम और पते।
7. संस्था के कर्मचारी, यदि कोई हो:
8. पशुधन का विवरण:–
   संख्या......................नस्ल, यदि विशेष हो.....................

   (i) गाय: दूध देने वाली– दूध न देने वाली–
   (ii) बछड़ियां
   (iii) बैल
   (iv) सांण्ड
   (v) बछड़े–नर/मादा
   (vi) अन्य पशुधन (प्रकार वर्णित करें)
9. संस्था की पिछले पांच वर्षो में दूध और अन्य गाय उत्पादों, के नाम के साथ की बिकी से आय — 1. 2. 3. 4. 5.
10. संस्था द्वारा हस्ति भूमि की पूर्ण विशिष्टियां: — कृषि घास चारागाह — अन्य प्रवर्ग
    (क) सिंचित
    (ख) गैर– सिंचित
11. भूमि उपयोग वर्गीकरण:
12. आय के स्त्रोत:–
    पिछले पांच वर्षो में सरकारी अभिकरणों से अभिप्राप्त राशि

    पिछले पांच वर्षो में अन्य स्त्रोतों से अभिप्राप्त राशि

13. पिछले पांच वर्षो में उपगतक्रियाकलाप वार व्यय:

1. आधारिक संरचना पर:	1.	2.	3.	4.	5.
2. दाना चारा पर:	1.	2.	3.	4.	5.
3. श्रम/जन शक्ति /वहन आदि पर	1.	2.	3.	4.	5.

14. पिछले तीन वर्षो का संपरीक्षित लेखा –
15. अन्य सूचना:

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

उपाबन्ध–III

नियम 6 देखें

पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/ पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

सेवा में,

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था नीचे दिए गए नाम अनुसार, अपने गोसदन /गौशाला/गौविज्ञान केंद्र/अन्य संस्था में गौवंश पाल रही है ।

या

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गाय के संरक्षण /संवर्धन/कल्याण के घटक को पूरा करने के लिए ऐसी संस्था स्थापित करने और उसकी आवश्यकता का प्रस्ताव कर रही है।

1. संगठन का नाम और पता:
2. संस्था का नाम और पता चालू या प्रस्तावित:
3. उक्त संस्था में सहारा दिए गए/सहारा देने के लिए प्रस्तावित किए गए पशुओं की संख्या:

1	2	3	4	5	6	7	8
दूध न देने वाली गाय	दुधारू गाय	बचाए गए बैल	बैल/सांड	मादा बछड़े	नर बछड़े	कुल	वहन क्षमता

4. पिछले तीन वर्षों में कुल पुनर्वासित/बचाए गए/अपनाए गए पशुओं की संख्या

(i)

(ii)

(iii)

5. संगठन द्वारा अनुरक्षित उपचार रजिस्टर के अनुसार पिछले तीन वर्षों में उपचारित पशुओं की कुल संख्या :

वर्ष	संस्थान में	पशु–चिकित्सालय/औषधालय में लाए गए	घटना स्थल पर (ऑन द स्पॉट)	कुल
(i)				
(ii)				
(iii)				

स्थान:

तरीख:

हस्ताक्षर एंव शासकीय मुहर
अधिकारी का नाम:
पदनाम:
मोबाइल और ईमेल:

उपनिदेशक (पशु स्वास्थ्य /प्रजनन) द्वारा
प्रतिहस्ताक्षरित

उपाबन्ध–IV

{ नियम 6 देखें}

स्थानीय निकाय अर्थात, पंचायत/ग्राम समिति/ग्राम सभा/नगर निगम–परिषद/राजस्व विभाग के शीर्षपत्र पर अभिप्राप्त किया जाने वाला प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य सचिव

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था नीचे दिए गए नाम के अनुसार अपने गोसदन/ गौशाला/गोविज्ञान केंद्र/ अन्य संस्था गौवंश पाल रही है।

या

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गाय के संरक्षण /संवर्धन/कल्याण के घटक को पूरी करने के लिए ऐसी कोई संस्था स्थापित की जानी और उसकी आवश्यकता का प्रस्ताव न्यायसंगत है:

1. संगठन का नाम और पता:
2. संस्था का नाम और पता (चालू/प्रस्तावित):
3. संपर्क विवरण के साथ अध्यक्ष/सचिव/संपर्क व्यक्ति का नाम:
5. उक्त संस्था में सहारा दिए गए/सहारा दिए जाने के लिए प्रस्तावित पशुओं की कुल संख्या:

6.निम्नलिखित कारणों से उक्त संस्था की आवश्यकता न्यायसंगत है:

उपरोक्त संगठन के प्रत्यय पग, जो प्रस्तावित संस्थान को स्थापित करने/संचालित करने का प्रस्ताव करती है, के एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर एंव शासकीय मुहर
अधिकारी का नाम:
पदनाम:
मोबाइल और ईमेल:

उपनिदेशक (पशु स्वास्थ्य /प्रजनन) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

उपाबन्ध–V

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

{ नियम 6(3) देखें}

प्रमाणित किया जाता है कि ....को कमांक संख्या .. ..पर,हिमाचल प्रदेश गौ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 13 (1) के उपबन्धों के अनुसार...गोसदन / गौशाला / गौ शरणालय / गौविज्ञान केंद्र / अन्य के रूप में आयोग की संस्था के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और विरचित नियमों की निम्न शर्तों के अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता हैं :–

1. संस्था अपने संविधान का पालन करेगी।
2. संस्था अपने कार्यों का उन उद्देश्यों के लिए निर्वहन करेगा जिनके लिए इसका गठन किया गया है।
3. संस्था की किसी सम्पति का आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रीति में व्ययन नहीं किया जाएगा ।
4. संस्था के नाम पर अभिप्राप्तसभी आगम का लेखा–जोखा उचित पुस्तकों में होगा और चार्टर्ड लेखापाल या तत्स्थानी अभिकरणों द्वारा लेखा संपरीक्षित किया जाएगा।
5. संस्था अपना संपरीक्षित लेखा और इसके ब्यौरे,आयोग द्वाराजब कभी यदि मंगवाए जाने आपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगी।

दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि एतदद्वारा संस्थान की उचित अभिरक्षा और रिकॉर्ड के लिए वापस की जाएगी।

स्थान:
तारीख :

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

उपाबन्ध–VI

संस्थाओं का रजिस्टर

संस्था का नाम ....

पता..

उद्देश्य..

(विनिर्दिष्ट किया जाना है कि संस्थान केवल स्वदेशी गोवंश का पालन करता है/पालने का प्रस्ताव करता है)

स्थापना की तारीख..................रजिस्ट्रीकरण संख्या ....अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:–

रजिस्ट्रीकरण की तारीख (1)	आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (2)	कार्यकारी निकाय के सदस्यों के नाम एंव पता (3)	कार्यकारी निकाय के उत्तराधिकार की रीति (4)

पल रहे पशुधन के ब्यौरे

गायें			बैल/बछडे	रखे गए कुल गोवंश	कुल वहन क्षमता
दूध न देने वाली गाय (5)	दुधारू (6)	अशक्त (दुर्बल) (7)	(8)	(9)	(10)

आय के सकल ब्यौरे (प्राप्तियां/आगम) और संस्था का व्यय

पिछले पांच वर्षों में सरकारी अभिकरणों से			पिछले पांच वर्षों में अन्यस्त्रोतों से (सार्वजनिक योगदान)				
प्राप्त रकम (11)	रकम व्यय (12)	प्रयोजन (13)	अभिकरण (14)	प्राप्त रकम (15)	रकम व्यय (16)	प्रयोजन (17)	स्त्रोत (18)

अचल सम्पति के ब्यौरे

कृषि भूमि (19)	मूल्य (20)	गैर कृषि भूमि (21)	मूल्य (22)	भवन (23)	मूल्य (24)

चलसम्पति के ब्यौरे

पशुधन (25)	मूल्य (26)	प्रतिभूतियां (27)	मूल्य (28)	विनिधान (29)	नकद मूल्य (30)	उपस्कर (31)	उपकरण (32)	यान (33)

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

{नियम 7 देखें}

उपाबन्ध–VII

किसी संस्था के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन

संस्था का नाम..

वह श्रेणी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रकृत गोसदन/ गौशाला/गौविज्ञान केंद्र/ अन्य (नाम विनिर्दिष्ट किया जाए:...)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग,

शिमला–5

विषय:– "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022" के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022 में "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018" के उपबन्धों के अधीन गाय के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में रत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपबन्ध करते है।

अतः अब यह संस्था उक्त नियमों के अधीन ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का आशय रखती है, अतः यह आवेदन ऐसी विशिष्टियों, जैसी अपेक्षित हैं के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूरा पता:

____

____

संस्था का प्रमुख,
संस्था की मुहर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरणः–

1. संगठन का हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।
2. उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिसके लिए अवसंरचना विकास/संवर्द्धन/संस्था संचालन हेतु सहायता मांगी जा रही है।
3. पशु चिकित्सा अधिकारी/ हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य /विशेष आमंत्रित सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए गए पिछले एक वर्ष में गाय के संरक्षण, पुनर्वास, संवर्धन और कल्याण से संबंधित कियाकलापों की सूची।
4. एक शपथ पत्र पर सीएसआर और अन्य अभिकरणों के अन्तर्गत सरकारी विभागों/ अभिकरणों, सार्वजनिक दान सहित अन्य स्त्रोतों से, पूर्व और वर्तमान में मांगी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
5. भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजपत्र ।
6. संपरीक्षित वित्तीय रिर्पोटें/कागजपत्र।
7. सार्वजनिक दान आदि सहित अन्य स्त्रोतों से अतीत में प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
8. पंचायत/स्थानीय प्रशासन के साथ–साथ पशु चिकित्सा अधिकारी और उप निदेशक द्वारा संस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव।
9. सरकारी विभाग/अभिकरण में नियोजित सिविल इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया या उसके द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित विस्तृत आक्कलन के साथ परियोजना प्रस्ताव की प्रतिलिपि।
10. उपाबन्ध–VIII के अनुसार लेखा ब्यौरे सत्यापित करते हुए शीर्षनामा पर राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाण–पत्र।

आवेदन की तारीख :

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख के

उपाबन्ध–VIII

{नियम 6 और 7 देखें}

(बैंक के शीर्षपत्र पर प्राप्त किया जाए)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग।

हम नीचे वर्णित संगठन जिसका हमारे बैंक में लेखा है, की निधियों के अंतरण हेतु निम्नलिखित ब्यौरों का एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:–

1. संगठन का नाम :
2. संगठन का पता:
3. बैंक का नाम, शाखा एवं पता
4. संगठन का खाता संख्या:
5. बैंक का आई. एफ.एस.सी.कोड नम्बर
6. संगठन के हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम, पता और पदनाम

हस्ताक्षर
बैंक का नाम और मुहर